"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 363] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 जुलाई 2021 — आषाढ़ 10, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 1 जुलाई 2021

आदेश

क्रमांक 6525/1516/21-ब/छ.ग./21. — विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 10905/3404/21-ब/छ.ग./2019 दिनांक 21-10-2019 के द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 1/3/2019-E-II (B) दिनांक 14-10-2019 के द्वारा केन्द्र शासन के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता दिनांक 01-07-2019 से 12% से 17% किये जाने पर इस विभाग द्वारा राज्य के न्यायिक अधिकारियों को देय महंगाई भत्ता दिनांक 01-07-2019 से 12% से 17% किया गया था. परन्तु यह जानकारी में आया है कि राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों व फैमिली पेंशनरों को उक्त बढ़े हुए महंगाई भत्ता/महंगाई राहत का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा वेतन पुनरीक्षण, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नियम, 2003 कि नियम 11-क के उपनियम-1 के खण्ड-3 के अनुसार "सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को देय पेंशन उसकी सेवानिवृत्ति के समय धारित पद में अंतिम आहरित वेतन का 50% होगा तथा महंगाई राहत की दर वही होगी जिस दर पर सेवारत न्यायिक अधिकारियों को महंगाई भत्ता देय है."

अत: एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रावधान के अनुसार राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा फैमिली पेंशनर जो पुनरीक्षित वेतनमान (अंतरिम) के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं को भी दिनांक 01-07-2019 से 12% के स्थान पर 17% महंगाई भत्ता/महंगाई राहत देय होगा.

हस्ता./-
(योगेन्द्र सिंह)
अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.